संख्याः 400 / III(1)/20–02(05)/जांच/2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 11 फरवरी, 2020

विषयः–लोक निर्माण विभाग में कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं लो0नि0वि0 के भण्डार में शासकीय क्षति एवं भवन सम्बन्धित प्रकरण एवं अनियमित कार्यों के फलस्वरूप हुई शासकीय क्षति के अन्तर्गत कार्मिकों के दायित्व का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत भण्डारों में पायी गयी शासकीय क्षति/भवन, कार्यों की त्रुटिपूर्ण डिजाईन के कारण कारित क्षति, कार्य की त्रुटिपूर्ण निविदा/प्रबन्धन में अधिक दरों के कारण हुई शासकीय क्षति सम्बन्धी प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त कार्मिकों के मध्य शासकीय क्षति का निम्नवत् समानुपातिक विभाजन/दायित्व के निर्धारण का निर्णय लिया गया हैः–

2– यदि किसी निर्माण कार्य की जाँच की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है या त्रुटिपूर्ण मापी के कारण अधिक भुगतान हुआ पाया जाता है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण शासन को हानि होनी पायी जाती है तो उस हानि की वसूली 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा 50 प्रतिशत उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से की जाये। अधिकारियों/कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत कनिष्ठ अभियन्ता से, 35 प्रतिशत सहायक अभियन्ता से तथा 15 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता से की जाये। ठेकेदार से यह वसूली उसके अवशेष विभागीय देयों से की जाये तथा यदि यह सम्भव न हो तो उससे यह वसूली भू–राजस्व की भाँति जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाय।

3– भण्डार में गबन/क्षति

(क) कनिष्ठ अभियन्ता Physical custodian की दशा में।

कुल शासकीय क्षति का 60%	कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार) से।
कुल शासकीय क्षति का 25%	सहायक अभियन्ता से।
कुल शासकीय क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता से।

(ख) स्टोर कीपर की तैनाती की दशा में।

कुल शासकीय क्षति का 60%	स्टोर कीपर एवं कनिष्ठ अभियन्ता (भण्डार) दोनों के मध्य 35:25 के अनुपात में।
कुल शासकीय क्षति का 25%	सहायक अभियन्ता (भण्डार) से।
कुल शासकीय क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता से।

क्रमशः–2

4- <u>कुटाई (Consolidation)</u>

(अ) यदि कुटाई (Consolidation) का कार्य विशिष्टियों के अनुसार नहीं कराया जाता है तो शासकीय क्षति का उत्तरदायित्व निम्नवत् किया जायेगा-

i- कुल शासकीय क्षति का 75% कनिष्ठ अभियन्ता से।

ii- कुल शासकीय क्षति का 25% सहायक अभियन्ता से।

5- <u>अण्डर साइज/ओवर साइज स्टोन बैलास्ट/ग्रिट की दरों में कमी विषयक:-</u>

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि स्टोन बैलास्ट तथा ग्रिट, निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही प्रयोग की जाय। अण्डर साइज/ओवर साइज सामग्री के प्रयोग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाये ताकि ठेकेदारों द्वारा सही साइज की सामग्री ही कार्यस्थल पर लाई जाये। अतएव इस प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्टोन बैलास्ट/ग्रिट के अण्डर साइज अथवा ओवर साइज पाये जाने पर निम्न प्रकार दरों में कमी (Reducation in rates) प्रस्तावित है:-

5 प्रतिशत तक	ओवर साइज/अण्डर साइज	कोई कटौती नहीं
5 प्रतिशत से अधिक, 10 प्रतिशत तक	ओवर साइज/अण्डर साइज	10 प्रतिशत में कमी
10 प्रतिशत से अधिक, 15 प्रतिशत तक	ओवर साइज/अण्डर साइज	30 प्रतिशत में कमी
15 प्रतिशत से अधिक, 20 प्रतिशत तक	ओवर साइज/अण्डर साइज	50 प्रतिशत में कमी
20 प्रतिशत से अधिक,	ओवर साइज/अण्डर साइज	कार्य पूर्णतया अस्वीकृत

6- <u>तकनीकी स्वीकृत आगणन में त्रुटिपूर्ण डिजायन अथवा गलत प्राविधान के कारण शासकीय क्षति:-</u>

(अ) <u>जिन प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाती है:-</u>

कुल शासकीय क्षति का 50%	मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के मध्य बराबर-बराबर
क्षति का अवशेष 50%	संस्तुति करने वाले अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य बराबर-बराबर

(ब) <u>जिन प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाती है:-</u>

कुल शासकीय क्षति का 50%	अधीक्षण अभियन्ता से।
क्षति का अवशेष 50%	संस्तुति करने वाले अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के मध्य बराबर-बराबर

(स) <u>जिन प्रकरणों में तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाती है:-</u>

कुल शासकीय क्षति का 50%	अधिशासी अभियन्ता से।
क्षति का अवशेष 50%	संस्तुति करने वाले सहायक अभियन्ता से।

क्रमशः-3

7–स्वीकृत मूल आगणन में हुये त्रुटिपूर्ण व्ययविक्य की स्वीकृति प्रदान करना

(अ) मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत करने पर

कुल शासकीय क्षति का 50%	मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के मध्य बराबर–बराबर
अवशेष 50% क्षति का 50%	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के मध्य क्रमशः 30:20 के अनुपात में
अवशेष 50% क्षति का 35%	सहायक अभियन्ता
अवशेष 50% क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता

(ब) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत करने पर

कुल शासकीय क्षति का 50%	अधीक्षण अभियन्ता
अवशेष 50% क्षति का 50%	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के मध्य 30:20 के अनुपात में
अवशेष 50% क्षति का 35%	सहायक अभियन्ता
अवशेष 50% क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता

(स) अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत करने पर

कुल शासकीय क्षति का 50%	अधिशासी अभियन्ता
अवशेष 50% क्षति का 70%	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के मध्य 30:20 के अनुपात में
अवशेष 50% क्षति का 30%	सहायक अभियन्ता

8– Painting work BM/DBM/SDBC/BC/PC

(अ) Painting work BM/DBM/SDBC/BC/PC में Density/Measurement की कमी पाई जाती है तो शासकीय क्षति की वसूली शा0सं0 989/23–9–9911 एसी./96 दिनांक 12.05.1999 के अनुसार ही की जायेगी।

कुल शासकीय क्षति का 50%	ठेकेदार
अवशेष 50% क्षति का 50%	कनिष्ठ अभियन्ता (कार्यस्थल)
अवशेष 50% क्षति का 35%	सहायक अभियन्ता (कार्यस्थल)
अवशेष 50% क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता

क्रमशः–4

(व) Painting Work BM/DBM/BC/SDBC/PC इत्यादि कार्य यदि Plant के माध्यम से किया गया है तथा Bitumen Content अथवा Grit की Grading में कमी/भिन्नता पाई जाती है तो-

कुल शासकीय क्षति का 50%	ठेकेदार
अवशेष 50% क्षति का 50%	कनिष्ठ अभियन्ता (प्लांट)
अवशेष 50% क्षति का 35%	सहायक अभियन्ता (प्लांट)
अवशेष 50% क्षति का 15%	अधिशासी अभियन्ता

कृपया इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः — /III(1)/20-02(05)/जांच/2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव